

## न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 96 / 2023 FSSA

- सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।  
— आवेदक—

### बनाम

- श्री ओमप्रकाश रावत पुत्र श्री कैलाश चन्द रावत  
मैसर्स:—रावत जनरल स्टोर मेन बाजार सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।  
— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक:— 03.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 10.08.2023 को सायंकाल 04:20 बजे मैसर्स रावत जनरल स्टोर मेन बाजार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर मालिक श्री ओमप्रकाश रावत पुत्र श्री कैलाश चन्द रावत उपस्थित मिला। विक्रेताने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेताकी फर्म पर एक साफ सुथरे स्टील के पीपे में लगभग 14 किग्रा एवं दुसरे साफ सुथरे स्टील के पीपे में लगभग 1.500 किग्रा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 1.6000 किग्रा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) खरीदा। जिसकी कीमत 210 रुपये विक्रेता को नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1.600 किग्रा सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतल में बराबर-बराबर (400-400 ग्राम) डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG-3618 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनों पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एकलिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.08.2023 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1420/एक्ट/2023/1442 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restriction on sale) नियम 2011 का उल्लंघन ( Sale of oils & fats in loose condition) पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1420/एक्ट/2023/1442 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना जांच रिपोर्ट में Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restriction on sale) नियम 2011 का उल्लंघन ( Sale of oils & fats in loose condition) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारी फर्म से दिनांक 10.08.2023 को सरसों के तेल का सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में अंकित किया गया सैम्पल खुले सरसों के तेल के टीन में से लिया गया है। जबकि वास्तविकता में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैक सरसों के तेल के टीन को मौके पर सैम्पल लेते समय खुलवाकर सरसों के तेल का सैम्पल लिया गया है। जो कि जांच रिपोर्ट में सरसों का तेल (लूज) विक्रय किया जाना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) विक्रय किया जाना अंकित करने के कारण खुले सरसों का तेल विक्रय किया जाना पाया गया है। हमारे द्वारा उक्त सरसों के तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद निरस्त फरमाया जावे।



उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषकअलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1420/एक्ट/2023/1442 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना जांच रिपोर्ट में Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restriction on sale) नियम 2011 का उल्लंघन( Sale of oils & fats in loose condition) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने जांच रिपोर्ट अनुसार सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(v) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री ओमप्रकाश रावत पुत्र श्री कैलाश चन्द रावत मैसर्स:-रावत जनरल स्टोर मेन बाजार सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 150000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 03.07.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa)के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.07.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुमित्रा पारीक )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:-.07.2024

कमांक / FSSA/ 2024 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश रावत पुत्र श्री कैलाश चन्द रावत  
मैसर्स:-रावत जनरल स्टोर मेन बाजार सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

( सुमित्रा पारीक )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा



सत्यमेव जयते

Web Copy - 2024